

अध्याय-20

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्तु प्रक्रिया में  
प्रयुक्त होने वाले नए प्रपत्रों की विवरणी

अमीन डायरी

..... अधिनिकारी का नाम ..... नौजा का नाम ..... थाना संचया .....

जाँच करने वाले पदाधिकारी  
का हस्ताक्षर

अमीन का हस्ताक्षर

**प्रपत्र-1**  
**(देखें नियम-4 का उप नियम-1)**  
**उद्घोषणा का प्रपत्र**

राजस्व ग्राम:-..... धाना नं०:-..... अंचल:-..... जिला:-.....

के सभी भू-धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यवितर्याँ को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यवित ग्राम की सीमा एवं इसके भू-खण्डों के सीमांकन या पहचान के लिए भू-खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भू-खण्डों की पेमाइश/जौँच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य वाधाओं, जैसा भी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का वाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निर्देशित दिया जाता है कि अपने भू-खण्डों की सीमाओं को भू-खण्डों की सीमाओं को सभी मोड़ पर निर्दी का सामं देकर उसे सीमांकित कर लें।

तिथि:-

बंदोबस्तु पदाधिकारी का हस्ताक्षर



प्रपत्र-3  
(देखें नियम-6 का उप नियम-(7))

स्व-धोषणा के विरुद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र

ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାସଃ—..... ହଲକା ୮୦—

अमीन का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

**प्रपत्र ३ (१)****वंशावली****अधिनियम की धारा ५ (१)**

सेवा में,

शिविर प्रभारी  
 अंचल.....  
 जिला.....

विषयः— स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं/हमलोग

(i)	श्री/ श्रीमती.....	पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री.....
(ii)	श्री/ श्रीमती.....	पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री.....
(iii)	श्री/ श्रीमती.....	श्री/ श्रीमती.....
	पुत्री (यों), पत्नी.....	निवासी..... ग्राम.....
	थाना..... अंचल:-.....	जिला..... जाति.....
	ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र ।। मैं अंकित है स्व.....	पिता:-..... ग्राम .....

जो राजस्व ग्रामः—..... अंचलः—..... के जमाबंदी क्रमांक संख्या.....  
 ..... में प्रविष्ट थे, की...../खतियान में अंकित खाता  
 संख्या..... खेसरा संख्या..... रकबा.....  
 .....लगान..... को उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर हित अर्जित  
 किया हूँ/है। वंशावली/वंशवृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित  
 किया हूँ/है। वंशावली/वंशवृक्ष (मुल खतियान/पंजी—।। के अनुसार)  
 (नीचे वंश वृक्ष टेबल फार्म बनायें)

मैं/हमलोगों का उल्लेखित भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल—कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं  
 विवाद से मुक्त है। मैं/हमलोगों की वंशावली, खतियान/जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्नरूपेण है।  
 अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के  
 आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता  
 खोलकर सम्बन्धित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाय।  
 अनुलग्नक—याचिकार्ता/(ओ) का वंशवृक्ष

विश्वासभाजन

याचिकार्ता/(ओ) का हस्ताक्षर

वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार हैः—

रैयत का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा				जमाबंदी संख्या
			खाता	खेसरा	रकवा	चौहड़ी	

मैं/हमलोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल—कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार—अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को प्रविष्टि करनक की कृपा की जाए।

#### अनुलग्नक—

1. मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि/वर्ष
2. जमाबंदी संख्या की विवरणी/मालगुजारी रसीद सं./वर्ष
3. खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो तो)
4. दावाकृत भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजों की विवरण
5. अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति
6. आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र
7. आवेदकनर्ता/ओं के आधार कार्ड की छायाप्रति
8. आवेदनकर्ता/ओं के वोटर कार्ड की छायाप्रति

विश्वासभाजन

याचिकाकर्ता(ओं) का हस्ताक्षर  
एवं पूरा पता

याददाता पंजी

(2)  
3

{धारा 5 की उप धारा (1)}

अमीन द्वारा संधारित किया जाने वाला याददाश्त पंजी

काम्यालय का जाग

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ମାଟେ

शान्ति चंद्रिया

पंचायत अंचल .....

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

.....अमीन कला

पंचायत अंचल .....

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

.....अमीन कला

प्रपत्र-4  
(देखें) नियम-6 का उप नियम-(8),  
गैर-सत्यापित / विवादप्रस्त भवि की पंजी का प्रपत्र

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्तु पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-5  
देखें नियम-9 का उप नियम-(1)  
जटियाँ विवरणी

..... शाना नं०:-..... अंचल.....

ଜିଲ୍ଲା—.....

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर



प्रपत्र-7  
(देखें नियम-9 का उप नियम-6))  
खानापुरी पर्चा का प्रपत्र

शिविर के प्रभारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

**प्रपत्र-8**  
**(देखें नियम-4 उप नियम-(9)**  
**दावों / आक्षेपों का प्रपत्र**

1. दावाकर्ता / आक्षेपकर्ता का नाम, पिता / पति का नाम एवं पूरा पता:-
2. प्रतिवादी का नाम, पिता / पति का नाम एवं पूरा पता:-
3. विवादित भूमि का व्याचार:-  
राजस्व ग्राम:-..... थाना नं0.-..... आठा-.....  
खेड़ेराः-..... रक्खाः-.....
4. दावा / आक्षेप का सारः:-
5. अपेक्षित राहतः:-

दावाकर्ता / आक्षेपकर्ता का  
हस्ताक्षर / ऑग्रह का निशान.....  
  
**प्रपत्र-9**  
**(देखें नियम-9 उप नियम-9)**  
**दावों / आक्षेपों की पावती का प्रपत्र**

दावाकर्ता / आक्षेपकर्ता का नाम :-.....  
  
 प्रापकर्ता पदाधिकारी / कर्मचारी का हस्ताक्षर / मुहर  
क्रम संख्या..... तिथि.....

**प्रपत्र-9**  
**(देखें नियम-9 उप नियम-9)**  
**दावों / आक्षेपों की पावती का प्रपत्र**

क्रम संख्या.....

तिथि.....

दावकर्ता / आक्षेपकर्ता का नाम :- .....

प्राप्तकर्ता पदाधिकारी / कर्मचारी का हस्ताक्षर / मुहर

प्रपत्र-10  
(देखें नियम-9 उप नियम-(10)

राजस्व ग्रामः—.....थाना नं0:—.....हल्का नं0:—.....अंचलः—.....  
जिला.....

प्रपत्र-11  
(देखें नियम-10 का उप नियम-1)  
सूचना का प्रपत्र

श्री / श्रीमती / कुमारी..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....  
आना..... अंचल..... जिला..... को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक.....  
को दायर दावों / आक्षेपों, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है, को पूर्वाह्न / अपराह्न (स्थान).....  
पर नियत की गयी है।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

**प्रपत्र-12**  
**(देखें नियम-11 उप नियम-(1))**  
**प्रारूप खानापुरी अधिकार-अभिलेख का प्रपत्र**

राजस्व ग्राम.....थाना संख्या.....पुलिस थाना.....  
अंचल.....जिला.....राजस्व थाना संख्या.....के सभी भू-स्वामियों /धारियो अथवा  
में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम  
से सम्बन्धित अधिकार-अभिलेख प्रारूप को एतत् ह्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

..... तक प्रकाशित होते हैं। अपने अनुसार ही कि आप अपनी पूर्ण अधिकारियता के लिए अपनी उम्मीद जिसमें आपका कोई अधिकारियतपूर्ति नहीं है, के संबंध में अधिकार अनुभविते हुए अधिकारियतपूर्ति के लिए अपनी प्राप्ति (दिनांक).....

प्रारूप का परिष्कालन किया जाय।

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्तु पदाधिकारी  
का हस्ताक्षर एवं मुहर

**प्रपत्र-14**  
**(देखें नियम-13 उप नियम-(4))**  
**दावों / आक्षेप दायर करने का प्रपत्र**

1. दावाकर्ता / आक्षेपकर्ता का नाम, पिता / पति का नाम एवं पूरा पता:-
2. प्रतिवादी का नाम, पिता / पति का नाम एवं पूरा पता:-
3. विवादित भूमि का औरा:-  
राजस्व ग्राम:-..... थाना नं0:-..... खाता:-.....  
खेसरा:-..... रक्खा:-.....
4. दावा / आक्षेप का सार:-
5. अपेक्षित राहत:-

दावाकर्ता / आक्षेपकर्ता का  
हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान.....

**प्रपत्र-14**  
**(देखें नियम-13 उप नियम-(4))**  
**दावों/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र**

1. दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
3. विवादित भूमि का बौरा:-  
 राजस्व ग्राम:-..... आना नं0:-..... आता:-.....  
 खेसराः:-..... रक्खा:-.....
4. दावा/आक्षेप का सारः:-
5. अपेक्षित राहतः:-

दावाकर्ता / आक्षेपकर्ता का  
 हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान.....

ਪੰਨਾ-15

(देखें नियम-13 उप नियम-(5))

अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र

**प्रपत्र-16**  
**(देखें नियम-13 उप नियम-(5))**

दरवां /आखेपों की पावती का प्रपत्र  
.....दावाकर्ता / आकेपकर्ता का नाम.....  
क्रम संख्या.....  
तिथि.....

प्रापकर्ता पदाधिकारी / कर्मचारी का हस्ताक्षर /मुहर

୧୮-ପ୍ରକାଶ

(देखें नियम-13 उप नियम-(7))

आधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों / आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र श्री / श्रीमती / कुमारी .....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... निवासी ग्राम डाकघर ..... थाना ..... अंचल ..... जिला ..... को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि दिनांक ..... तृष्णाहृत / अपराह्न (स्थान) ..... को दायर दावों / आक्षेपों, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है, से सम्बन्धित सुनवाई दिनांक ..... पर नियत की गयी है।

अन्यथा वाद को, उपरवा अपका निरदया दिया जाता है कि अपेक्षन दावा / अक्षेप के समर्थन में साथ्य के साथ आप स्वयं अश्वा अपने प्रधिकृत के द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हो अन्यथा वाद को, उपरवा

शिविर के प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-18  
(देखें नियम-14 उप नियम-(4))  
तेरीज नया अधिकार-अभिलेख का पपत्र

राजस्व थाना सख्ता..... अचता..... जला.....

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्तु पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र-18( क )

लगान बन्दोबस्ती दर तालिका

**बिहार विशेष सर्वक्षण एवं बन्दोबस्तु नियमावली संशोधन, 2018 के नियम-14 का उप नियम-5 (क)(i) देखे**

मौजः—.....थाना सं0:—.....अंचदः—.....जिला:—

- (क) वासनाती की बचती - 1.00 रुपये प्रति दिन।

(ल) वासनाती की बचती - 0.75 रुपये प्रति दिन।

(म) वासनाती की बचती - 0.50 रुपये प्रति दिन।

(ग) वासनाती की बचती - 0.25 रुपये प्रति दिन।

(ज) वासनाती की बचती - 0.00 रुपये प्रति दिन।

(१) वासनाती की बचती - 5.00 रुपये प्रति दिन।

- (३) व्याचाराधिक भूमि— विवाह कर्त्ता श्रमिक प्रयोजनों के लिए अधिकारी व्याचाराधिक भूमि (गैर-कृषि) प्रयोजनों के लिए

अमीन / विशेष सर्वेक्षण अमीन का हस्ताक्षर

स०ब०प० / विशेष सर्वेक्षण स०ब०प० का हस्ताक्षर

बन्दोबस्तु पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-19  
(देखें नियम-14 का उप नियम-(4))

यात्रज्ञान ग्रन्थालय द्वारा प्रकाशित  
प्रिया अचल.....

नूनगों का हस्ताक्षर

अमीन का हस्ताक्षर

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्तु  
पदाधिकारी हस्ताक्षर

प्रपत्र-20  
(देखें नियम-15 उप नियम-(1))

अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या.....राजस्व थाना संख्या.....राजस्व ग्राम.....के सभी भू-स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि में हित रखने वाले व्यवित्रियों को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या.....की भूमि, जिसका और नीचे दिया गया है, के संबंध में अधिकार-अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।  
राजस्व थाना संख्या.....राजस्व ग्राम.....पुलिस थाना.....अचल.....

आंतिम अधिकार अभिलेख (दिनांक)....  
कर लिया जाय।

जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
एवं मुहर

ੴ ਸਤਿਗੁਰ

## प्रपत्र-21

(देखें नियम-15 का उप नियम-(3))

आधिकार-अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान/प्रकाशन के उपरान्त दावा/आक्षेप दायर करने हेतु प्रपत्र

1. दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
2. प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता:-
3. विवादित भूमि का बौरा:-  
राजस्व ग्राम:-..... थाना नं0:-..... खेसरा:-..... रकबा:-.....
4. दावा/आक्षेप का सार:-
5. अपेक्षित राहत:-  
दिनांक:-

दावाकर्ता/आक्षेपकर्ता का  
हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान.....

प्रपत्र-22  
(देखें नियम-15 उप नियम-4)

अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र  
श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी गाम  
जिला.....थाना.....डाकघर.....आपति, जिसका विवरण नीचे लिया गया है, की सुनवाई दिनांक.....पूर्वाहन/अपराह्न<sup>(स्थान)</sup> पर नियत की गयी है।

एक पक्षीय निपटारा किया जा सकता।

नियम-15(2) के अधीन दावों / आक्षेपों के निपटारा हेतु अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर